

**फर्द अहकाम** उपखण्ड अधिकारी  
बड़गाँव, जिला-उदयपुर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी (गिवा) उदयपुर

श्री लीलादेवी विपक्षी श्री राजाराम

सम मुकदमा वाड 53, 188, 188 हात पत्रावली संख्या 380/19 सन् 2019

क्र.सं.	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएँ जारी की गई
---------	-----------------	---

उपरोक्त में वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत दावा बिझे के अनुसार जामती लीलादेवी, जामती लक्ष्मी देवी व सुनी तारा माती द्वारा निवेदन किया है कि प्रकरण में प्रार्थना/वादिना का विपक्षी के साथ आपत्ती राजीनामा हो चुका है। एवं जामती राजीनामा हो जाने के कारण प्रार्थना/वादिना अथवा प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहती है। तथा प्रकरण को इसी स्टेज पर बिझे करना चाहती है।

प्रार्थना/वादिना के प्रार्थना पत्र पर सुना गया। प्रार्थना/वादिना द्वारा न्यायालय के समक्ष यह स्वीकार किया कि प्रार्थना/वादिना एवं विपक्षीगणों के मध्य जामती राजीनामा हो चुका है। एवं वे अब इस प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहती है। प्रार्थना/वादिना द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अतिरिक्त कथनों को स्वीकार करते हुए न्यायालय के समक्ष प्रकरण वि ओडिपिका पर हस्तक्षर किये गये एवं प्रकरण बिझे से निवृत्त करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रकरण में प्रार्थना/वादिना के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना/वादिना को सुना गया। न्यायालय का मत है कि प्रकरण में प्रार्थना एवं विपक्षीगणों के मध्य जामती राजीनामा हो चुका है। एवं प्रार्थना स्वयं ही प्रकरण में अथवा कोई कार्यवाही नहीं चाहती है। अतः प्रकरण को कार्यवाही के इसी स्तर पर बिझे से बन्द किया जाता है।

पत्रावली में मल अज्ञात है।

*Raju*  
उपखण्ड अधिकारी  
बड़गाँव, जिला-उदयपुर

